न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, (फलोदी)

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 182/2019
दावा अन्तर्गत :- धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सिकन्दर पुत्र कादर खां 2. सलीमत पत्नी रायधन जाति सिन्धी मुसलमान नि. देढासरी तहसील बाप जिला जोधपुर		01. सरादीन पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान नि. देढासरी तहसील बाप जिला जोधपुर 02. श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की तरफ से
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 19.01.2023

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा भूमि सरहद्द मौजा इस्माईल की ढाणी पटवार क्षेत्र देढासरी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि में वादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्सा भूमि बंट में आती है। नकल जमाबंदी संवत 2072-2075 व नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि का आपसी सहमति का बंटवाड़ा संवत 2060 को उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों ने पूर्व में निम्नानुसार कर लिया था।

अ. वादी सं. 1 के बंट में खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा में से अपने 1/3 हिस्सा अनुसार रकबा 8-03 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखी गई।

ब. वादी सं. 2 के बंट में खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा में से अपने 1/3 हिस्सा अनुसार रकबा 8-03 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखी गई।

स. प्रतिवादी सं. 1 के बंट में खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा में से अपने 1/3 हिस्सा अनुसार रकबा 8-02 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। नजरी नक्शा वाद के साथ संलग्न पेश

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया जा रहा है जिसे उक्त वाद का अभिन्न हिस्सा माना व समझा जावे। वादी सं. 1 को पूर्व खातेदार ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही कब्जा सुपुर्द किया था। वादीगण ने उपरोक्त आपसी सहमति से प्राप्त भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासिय ढाणीयां बना रखी है जिसमें वादीगण अपने-अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। वादीगण ने वर्तमान में भी अपने हिस्से की भूमि पर ग्वार, बाजरा आदि की फसल काश्त कर रखी है, जो मौके पर मौजूद है। वादीगण ने अपने हिस्से की खाद बीज वगैरा डल कर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। इसलिये वादीगण उपरोक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा अनुसार ग्राम इस्माईल की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा भूमि भूमि का बंटवाड़ा अपने एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से अनुसार करवा कर इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग खाते कायम किये जाकर, इसी अनुसार ही नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने के अधिकारी है। अगर अदालत हजा पूर्व में हुए आपसी सहमति के बंटवाड़े को मान्यता प्रदान नहीं करती है तो उस स्थिति में ग्राम इस्माईल की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा भूमि का बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य उनके कब्जा व काश्त अनुसार बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने के आदेश फरमावें। वादीगण का उक्त भूमि में अपने द्वारा खाद बीज वगैरा डल कर तैयार की गई भूमि में कब्जा व काश्त आज दिन शांतिपूर्वक चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जमीनों की कीमतें अत्यधिक बढ जाने की वजह से एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपसी मनमुटव हो जाने से प्रतिवादी सं. 1 की नियत खराब हो गई है और वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 पूर्व हुए आपसी सहमति के बंटवाड़ा को मानने से इनकार हो गया है और वादीगण द्वारा तैयार की गई भूमि पर कब्जा कर उक्त तैयार की गई भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है। अपने इसी नापाक इरादों से दिनांक 26/08/2019 को प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के द्वारा तैयार की गई भूमि में आये और वादीगण को कहा की हम पूर्व में हुए आपसी सहमति के बंटवाड़ा को नहीं मानते है हम तुम्हारे हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देंगे। उस दिन तो वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को समझा बुझा कर वहां से निकाल दिया है। लेकिन जाते हुये प्रतिवादी सं. 1 आईन्दा मैं पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर दूंगा। प्रतिवादी सं. 1 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशी[illegible] प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाता है तो [illegible] अधिकारों का कुठाराघात होगा। जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभाव है। वादीगण गरीब एवं असहाय है तथा प्रतिवादी सं. 1 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में वादीगण असमर्थ है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम इस्माईल की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 24-08 बीघा भूमि में आपसी सहमति के बंटवारा से प्राप्त भूमि में वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी सं. 1 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह वाद पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री मदनगोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु कई अवसर के बाद जवाब न पेश करने पर जवाब बंद किया गया प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

न्यायालय हजा द्वारा जारी निर्णय/प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में प्रकरण संख्या 134/2022 सरादीन बनाम सिकन्दर वगैरा अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2022 द्वारा इस न्यायालय के पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 21.12.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मामले में उभय पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे और आवश्यक हो तो समुचित तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी वादी संख्या 1 की और से वाद का विरोध होने से प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वादी संख्या 1 के बयान पी.डब्लू-1 कलमबद्ध किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया। तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने फार्म नम्बर 3 के साथ घोषणा पत्र पेश किया। घोषणा पत्र में [illegible] हमारी व सरादीन पुत्र अली मोहम्मद की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 3.9497 हैक्टेयर ग्राम इस्माईलखां की ढाणी तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि में सिकन्दर का 1/3 हिस्सा, सलीमत का 1/3 हि[illegible] व सरादीन का 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि का हम तीनों पक्षकारान ने घोषणा पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अनुसार बंटवाड़ा कर लिया है। उक्त नजरी नक्शा पर हम तीनों खातेदारान ने अपने अपने हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान कर दिये है। उक्त खसरा के पश्चिम की तरफ सरकारी भूमि खसरा नम्बर 243 व 240 है जिस में हम घोषणाकर्ता का किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। हम घोषणाकर्ता हमारी खातेदारी में ही खूंटे रोप कर तारबंदी करेंगे। भविष्य में उक्त सरकारी भूमि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज नहीं करेंगे। उक्त सरकारी भूमि पर सरादीन का हिस्सा व कब्जा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस एवं घोषणा पत्र के संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। ग्राम इस्माई खां की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 3.9497 हेक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का सलीमत 449/1464 हिस्सा, भंवराराम 13/488 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने घोषणा पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बंटवाड़ा का अनुतोष चाहा गया है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वाद माफिक घोषणा पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण माफिक घोषणा पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 3.9497 हेक्टेयर भूमि का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व भंवराराम के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। घोषणा पत्र के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को लिखवाया जाकर ...यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
...यक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकद्में इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास मांगीलाल (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सिकन्दर पुत्र कादर खां 2. सलीमत पत्नी रायधन जाति सिन्धी मुसलमान नि. देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर		01. सराद्दीन पुत्र भली मोहम्मद जाति मुसलमान नि. देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर 02. श्रीमान तहसीलदार, बाप

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व वाद संख्या 182/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता मदनगोपाल शर्मा हाजिर हुवे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम इस्माईलखां की ढाणी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 246 रकबा 3.9497 हेक्टेयर भूमि का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व भंवरराम के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। घोषणा पत्र के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत्
खर्चा इस मुकद्में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की
तारीख
वसूल याबी तक को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.01.2023 को जारी की गई।

(मांगीलाल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना व		
मेहनताना वकील			खर्चा गवा		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:05:58 IST
Reason: SelfAttested